न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 689 सन 2019

अनवान :–

1. मदनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवण उर्फ श्रवण कुमार पुत्र भीयाराम जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन देवी पुत्री श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. तुलसीदेवी पुत्री श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 373/359 की कुल 5.6490 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 ही है

वाद भूमि जो वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम के नाम से दर्ज है के देहान्त होने के वाद वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 एक मात्र वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जायज वारिसान है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

(राजस्व)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसकी माता सुखी पत्नि भीयाराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जायज वारिस है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 373/359 की कुल 5.6490 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 ही है

वाद भूमि जो वादी की दादी सुखी पत्नि भीयाराम के नाम से दर्ज है के देहान्त होने के वाद वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 एक मात्र वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जायज वारिसान है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 373/359 की कुल 5.6490 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी संम्वत 2072–2075 के अनुसार वाद भूमि सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी की दादी के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ही है जो प्रस्तुत मृत्यू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

/वारिस प्रमाण पत्र से साबित है प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ही जायज वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि वाद भूमि जो उसकी माता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब का हक हिस्सा है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 ता ,4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 373/359 की कुल 5.6490 हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है सुखी पत्नि भीयाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मदनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्रवण उर्फ श्रवण कुमार पुत्र भीयाराम जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 सुमन देवी पुत्री श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 तुलसीदेवी पुत्री श्रवण कुमार जाति राईका निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 689 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 373/359 की कुल 5.6490 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी सुखी पत्नी भीयाराम के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है सुखी पत्नि भीयाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)